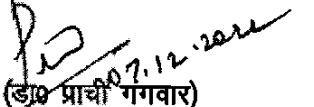


प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. प्रमुख मुख्य वन संरक्षक (विभागाध्यक्ष), उ०प्र० वन विभाग, 17, राणाप्रताप मार्ग, लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. वन संरक्षक, सहारनपुर एवं मेरठ।
4. प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, मुजफ्फरनगर, मेरठ एवं गाजियाबाद।
5. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (बिल्डिंग), लोक निर्माण विभाग, मेरठ।
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।


(ड० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक- 1931/11सी- FP/UP/Road/121197/2021, दिनांक, लखनऊ, दिसम्बर 07-2022

- प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक, पश्चिम जोन, मेरठ एवं वन संरक्षक, मेरठ व सहारनपुर को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा उपरोक्त बिन्दुवार वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल तीन प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा बिन्दुवार वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल तीन प्रतियों में वन संरक्षक के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- प्रतिलिपि- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (बिल्डिंग), लोक निर्माण विभाग, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow



केन्द्रीय भवन, पंचम मंज, सेक्टर-11, अलिगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-11, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696
Email: roc2.fko-mef@gov.in, goimoevolko@gmail.com

पत्र सं० 8बी/यू0पी0/06/221/2021/एफ0सी0/739

दिनांक: 06.12.2022.

सेवा में,

अति मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

Online Proposal No. FP/UP/Road/121197/2021

विषय: चौधरी चरण सिंह, कांवड़ सड़क मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनल की दांयी पटरी किमी० चैनेज 51.910 से 163.40 तक जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे० संरक्षित वनभूमि, जनपद मेरठ वन प्रभाग में 84.6 हे० संरक्षित वनभूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे० संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 222.98 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष/पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एवं 25,000 पौधे अर्थात् कुल 1,12,722 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उ०प्र० का पत्रांक 1447/11-सी-FP/UP/Road/121197/2021 दिनांक 20-10-2022

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सचिव (वन), उ०प्र० शासन के पत्रांक 1278/81-2-2021-800(123)/2021 दिनांक 17.08.2021 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अंतर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी गई थी।

प्रणगत प्रकरण को दिनांक 24.11.2022 को आहत क्षेत्रीय सषक्त समिति (REC) के समक्ष विचारार्थ REC Agenda Item No. 73.4 (U.P) प्रस्तुत किया गया था। क्षेत्रीय सषक्त समिति (REC) द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर 15 दिनों के अन्दर सूचना प्राप्त होने के पश्चात् प्रकरण में स्वीकृति प्रदान की है।

अतः मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि निम्नलिखित बिन्दुओं पर जानकारी/सूचना प्रेषित करने का कष्ट करें जिससे प्रकरण में आगामी फरगार्ष सुनिश्चित की जा सके:-

- Revised .kml file, Geo-referenced map and SOI toposheet of proposed CA land need to be uploaded on PARIVESH portal.
- DFO needs to submit the details with respect to-
 - Previous plantation in Pawa and Shahpur sites viz plantation was carried out under which scheme.
 - Site inspection report of the committee which declared it as a failure plantation.
 - The area is included under which working circle in the working plan.

भवदीया,

(डा० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)